


पपर 8
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीताररीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प खामनियाकला

- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खामनियाकला
व भूअनि यहमगरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब
तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खामनियाकला तहसील रेलमगरा व
जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् 2077 सै (स्था) में खाता संख्या 123 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>खामनियाकला</u>	<u>123</u>	<u>परती पुती अलु बलई</u>	<u>परती पुती अलु सालवी</u>


उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

क्रमांक:- 429
प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट गिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
रेलमगरा